न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया

सत्र वाद संख्या – 747/2018

02-04-2024 अभियुक्त पूजो यादव की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है।

वाद पुकारा गया। अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए । अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया । जमानत आवेदन को प्रचलित करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि अभियुक्त इस वाद में जमानत पर थे एवं अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत था। अभियुक्त दिनांक 11-02-2023 से गोपालपुर थाना काण्ड संख्या 64 /2023 एवं गोपालपुर थाना कांड संख्या 83 /2022 के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में थे तथा अभियुक्त की ओर से दिनांक 03-04-2023 को प्रस्तुत वाद में उपस्थापन हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में उपस्थापना अधिपत्र निर्गत नहीं किया जा सका जिसके कारण अभियुक्त को वाद के स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी तथा दिनांक 04-08-2023 को अभियुक्त का बंधपत्र खंडित कर दिया गया। अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक शर्त मानने को तैयार है एवं न्यायालय के संतुष्टि हेतु समुचित राशि का बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है । अतः निवेदन करते हैं कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है की दिनांक 04-08-2023 को अभियुक्त की पैरवी नहीं की गयी थी। वाद की बारम्बार पुकार की गयी परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण अभियुक्त का बंधपत्र खंडित कर दिया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त पूजो यादव की और से मो0 10000 /- के समतुल्य राशि के दो जमानतदारो के दायित्व पर बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत प्रदान किया जाता है की अभियुक्त वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि को न्यायलय के समक्ष सदेह उपस्थित रहेगा।

sd/-
A.D.J – I
Naugachia